अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के निमित्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग़, आगरा की
पी0एच0डी0 (शिक्षा) उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध की रूपरेखा
2016

शोध निर्देशक
डॉ0 मुकेश कुमार गौतम

शोधार्थी
अमित कुमार

विभागाध्यक्षा
पेडागॉजीकल साइन्सेस

संकाय प्रमुख
शिक्षा संकाय

शिक्षा संकाय
दयालबाग़ एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग़, आगरा – 282005

प्रस्तावना

समाज का मुख्य आधार मनुष्य होता है, जब तक मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से उसकी अन्तर्निहित शक्तियों से अवगत न कराया जाए, तब तक उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं है और बालक के सम्पूर्ण विकास के अभाव में समाज की नीवं तथा व्यवस्था सुद्रढ़ नहीं, हो सकती, क्योंकि शिक्षा मानव जीवन को व्यवहारिक धरातल प्रदान करती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सच्चाईयों को उजागर करती है, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का बात आते ही देश में सदियों से उपेक्षित एवं शोषित जातियों की ओर ध्यान दिया जाना स्वाभाविक है जिसने जाति–भेद की समस्या को जन्म दिया।

जाति–भेद की समस्या का सूत्रपात वैदिक कालीन समाज व्यवस्था से प्रारम्भ होता है वर्ण व्यवस्था का जब कोई नाम लेता है, तो वेदों, पुराणों उपनिषदों और स्मृतियों में अंकित सीमित अधिकारों की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित हो जाता है, क्योंकि मानव की समस्त स्वभाविक शाक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है यदि शिक्षा के गौरवपूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसकी प्राचीनता एवं विद्धता का प्रमाण हमें मुनस्मृति से ज्ञात होता है।

मनुस्मृति के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को सीमित अधिकार प्रदान किये गये थे जिनमें कर्तव्य अधिक थे और अधिकार कम। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था लेकिन धीरे–धीरे वर्ग और जाति की स्थापना वंश के आधार पर होने लगी और यही से शोषण प्रकृति का जन्म हुआ । इस प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना में धार्मिक वैधानिकता में सामाजिक क्रियाकलापों पर अधिकार कर उच्च वर्गों के अधिकारों तथा श्रेष्ठताओं को अक्षुण्य बना दिया। जिसके फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से कमजोर होते चले गये और ब्राह्मण वर्ग ने पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत मानकर इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित

कर दिया तथा समाजसेवी संस्थाओं की ओर से इस वर्ग विशेष की शिक्षा व्यवस्था 19वीं सदी तक नही की गई।

1.1 ऐतिहासिक पृश्ठभूमि

प्राचीन भारतीय समाज मे वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाता था। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में भारतीय समाज का सर्वाधिक मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था रही है इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण समाज को चार वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र में विभाजित किया गया। अनेक विषयों के द्वारा सभी वर्गों के अधिकार और कर्तव्यों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया जिससे समाज की सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

चतुर्थ वर्ण में विभाजित जाति व्यवस्था मे शूद्रों को जो शिक्षा दी जा रही थी। वह नाम मात्र की होती थी इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन करने पर यह भी ज्ञात होता है कि इस वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वास्तविक रूप में भारत वष के अन्दर जाति ही अधिकाशतः एक व्यक्ति के कार्य स्तर, प्राप्त अवसरों तथा साथ ही प्रतिद्वन्द्वता को भी निश्चित करती थी। जाति अन्तर घरेलू तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे। सांस्कृतिक प्रतिमानों में अन्तर को निश्चित करते थे, यहाँ तक कि भूमि स्वामित्व भी प्रायः जातीय आधार पर निश्चित होता था, बहुत से कार्य प्रायः प्रशासनिक कार्य भी विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय आधार पर विभक्त होते थे। जातीयता, संकुचित धर्मों एवं व्यक्तियों की धर्म निरपेक्ष संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करती थी। उच्च कोटि के मनुष्य निम्न जाति वर्ग पर अनाधिकार चेष्टा करके आदिवासी, हरिजन, बन्धक तथा श्रमिक आदि को शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निषेध का जीवन यापन करने पर बाध्य किया करते थे। इनकी सन्तानों को प्रायः वही व्यवसाय करने को दिया जाता था जो कि उनकी वंश परंपरा के अनुकूल होता था। इस प्रकार शूद्रों (पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनु0 जनजातियों को प्राचीन काल में आव यकता से अधिक अत्याचार एवं पद दलित किया गया।

वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था से माना जाता है भारतीय समाज व्यवस्था की स्थापना वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों आदि के अनुसार की गई है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर वेद और शास्त्रों में भी समाज के जिन गुण, कर्म तथा आर्थिक एवं सामााजिक दृष्टि से हीन इस वर्ग को कम से कम उतना ही महत्त्व दिया गया है, जितना कि मानव शरीर में चरणों को जैसा कि ऋग्वेद के निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है–

ब्राह्मणोस्य मुख्यासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
उरुतदस्य यत्वैश्य पदम्यां, शूद्रों अजायतः।।
– ऋग्वेद म0 10 आ 7, सू.–9, पृ.–1947

अर्थात् ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं।

वैदिक काल में माने गये शूद्र ही परिगणित जातियों (पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाने जाते हैं जिनके पूर्वज सदैव अन्धकार में रखे गऐ, जिनका अति प्राचीन काल से लेकर हिन्दू युग की तरह मुस्लिम और विदेशी सत्ताओं ने भी इस वर्ग की अज्ञानता, दुर्दशा और हीनता से प्रोत्साहित होकर अनेक मानवीय यातनायें देकर इनका शोषण किया है। जिसके फलस्वरूप इस वर्ग के लोग अनेक समस्याओं से ग्रसित रहे।

प्रत्येक व्यवस्था अपने स्थायित्व के लिए निरंतर प्रयासशील रहती है वैदिक परंपरा ने अपने आप को स्थायी रखने के लिए शिक्षा का सहारा लिया ब्राह्मणों ने भी समाज को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व संभाला, क्योंकि वे भाषा आदि में निपुण थे। अतः वे ज्ञान के संरक्षक बन गऐ, वे ही धर्म ग्रन्थों एवं सामाजिक नियमावलियों के रचयिता एवं धर्म व जाति पर आधारित व्यवस्था के नियमों की व्याख्या करने वाले हो गये, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा भी पूर्णतया धार्मिक, व्यक्तिगत तथा सत्तावादी बनकर रह गयी। इस जाति आधारित व्यवस्था एवं वर्ग विभाजन को भी अपनाया गया तथा कथित निम्न समझी जाने वाली जातियों से शिक्षा का अधिकार भी छिनता चला गया। ब्राह्मणों के हाथों में शिक्षा एक अस्त्र बनकर रही गयी, जिसे रूढ़िवाद, स्वयं की श्रेष्ठता, संस्कृति आदि का पोशक बन सकें और जीवन के धार्मिक, सामाजिक शैक्षिक एवं

जीवन पर पूर्ण अधिकार बनाने में ये शताब्दियों तक सफल रहे तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिक्षा पर स्वंतत्रता से पूर्व बहुत कम ही ध्यान दिया गया।

1.2 पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए विभिन्न समाज सेवियों द्वारा किये गये प्रयास –

अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य गैर अनुसूचित जाति/जनजाति की तुलना में काफी नीचे है ये भारत के शिक्षाविदों एवं शिक्षा विकास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के सम्मुख एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि इस वर्ग के व्यक्तियों के पिछड़ेपन के कई कारण हैं जिसमें आर्थिक कारणों के साथ जातीय, भेद–भाव तथा अस्पृश्यता जैसे अनेक सामाजिक कारण भी हैं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किऐ गये है। जिनमे प्रमुख रूप से कबीरदास, रैदास, गुरुनानक, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, रामास्वामी पेरियार, क्षत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, महात्मा गाँधी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर (1951 ने अपनी पुस्तक जाति–विच्छेद मे जाति–भेद एवं हिन्दू धर्म पर एक स्पष्ट गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिसके माध्यम से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ है।

1.3 पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा –

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक समाज सेवियों द्वारा अनेक प्रयास किऐ गये लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली, जिसका प्रमुख कारण जाति–भेद था जिसके कारण इन जातियों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक स्तर पर दबाये रखा गया और घोर अत्याचार करके प्रताड़ित किया गया, जिससे इस जाति वर्ग के

लोग ऊँचे न उठ सकें। जिसके उदाहरण– वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों आदि धार्मिक ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं।

अग्रेंजी शासन स्थापित होने पर इस वर्ग की शिक्षा के प्रति विदेशी शासकों का ध्यान अवश्य गया और उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में साथ बैठकर शिक्षा में प्रवेश की खुली छूट दे दी। लेकिन सामान्य जातियों के बालकों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप इन जातियों मे साक्षरता का प्रवेश नहीं हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जब गाँधी जी के हाथों में आया तो देश की जनता ने उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। गाँधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कोढ़ घोषित किया और इस वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने पर विशेष बल दिया। परिणामस्वरूप गाँधी जी के साथ अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने रात्रि के समय गाँव में जाकर इस वर्ग के व्यक्तियों को अक्षर ज्ञान कराने लगे और यही से इस वर्ग की शिक्षा का शुभारम्भ माना जाता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिक्षा में परिवर्तन उस समय आया, जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और राष्ट्र निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, तो उन्होंने सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था मे सबसे निकृष्ट समझे जाने वाले इन जातियों के उत्थान के लिए संविधान मे विशेष प्रावधान किये, जिससे इस वर्ग को किसी भी प्रकार से हीन न समझा जाये। इसके लिये संविधान में कुछ विशेष अनुच्छेदों का प्रावधान किया है यदि देखा जाये, तो संविधान को लागू हुऐ 67 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर भी इस वर्ग के लोगों का शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान उतना नहीं हो पाया है जितनी कि संविधान लागू होते समय कल्पना की गई थी, क्योंकि आज भी समाज मे काफी ऐसी रूढ़ियाँ देखने को मिलती है जिससे इस वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है।

वष 1990–91 में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे गठित राष्ट्रीय समिति (1991 ने निर्णय लिया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जायें, जिससे इर्स वर्ग के लोगों में शैक्षिक,

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना का विकास किया जाये। इस समिति ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर के जीवन–दर्शन तथा अनेक दलित समाज सेवियों के जीवन–दर्शन पर चर्चायें, सेमिनार तथा निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें अनेक शिक्षा शास्त्रीयों एवं राजनीतिज्ञों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की और यह भी व्यक्त किया कि इस वर्ग के लोगों का इतना विकास नहीं हो पाया है जितना, कि होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए वर्ष 1987–88 में जो योजनाऐं लागू की गई वे अभी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित तो की जा रही है। परन्तु अभी भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन सक्रियता के साथ नहीं किया जा रहा है ऐसा अनेक शिक्षा तथा समाजशास्त्रियों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है अभी भी इन जातियों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिससे ये जातियाँ सामान्य जातियों के बराबर आ सकें। डिसूजा (1980, चिटनिस 1981, मल्होत्रा (1986 एम.के. गौतम (1999 कल्पना, अग्निहोत्री (2004, कुमार, सतीश (2008, ज्योत्सना (2013, शि ारसाठ (2013 आदि के अध्ययनों से स्पष्ट है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की छठवीं रिर्पोट 1999–2001 में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन जातियों के लिए केन्द्र, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इस जाति वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं वे अभी भी पूरी ईमानदारी के साथ लागू नहीं की गई हैं और इन जातियों के संरक्षण और विकास के लिए जो विशेष प्रावधान किऐ गये है उनका ईमानदारी के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। इसी सन्दर्भ में आयोग ने विभिन्न सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रेषित की जिस पर गम्भीरता क साथ अमल किये जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में उपलब्ध कराए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों तथा अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में

स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय के अलावा 1978 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। 1992 में इन दोनों संगठनों की जगह एक संवैधानिक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। हालांकि अनुसूचित जनजाति की जरूरतों और समस्याओं तथा समाधानों के लिए अनुसूचित जाति से अलग दृष्टिकोण की जरूरत थी, ऐसे में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनजातीय विकास और स्वतंत्र मशीनरी की जरूरत महसूस की गई। तद्नुसार संविधान के 338वें अनुच्छेद का संशोधन करते हुए और संविधान (89वां संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से नया अनुच्छेद 338ए शामिल करते हुए 19 फरवरी, 2004 को एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने गठन से लेकर 2004–05 तथा 2005–06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8 अगस्त, 2006 को 2006–07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3 सितंबर, 2008 को, 2007–08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29 मार्च, 2010 को, 2008–09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27 अगस्त, 2010 को तथा 2009–10 के लिए पांचवीं रिपोर्ट दिनांक 13 जुलाई, 2011 को, 2010–11 के लिए छठी रिपोर्ट, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को तथा जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन पर विशेष रिपोर्ट 18 जून, 2012 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। इस वर्ग के लोगों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें जो योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही हैं उनमें पारदर्शिता की कमी है और ईमानदारी का अभाव है राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सातवीं रिर्पोट जून 2016 में तैयार होकर भारत के राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजी जा चुकी है जिस पर भारतीय संसद मे विचार होना बाकी है।

वष 2015–16 डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर का 125वॉ जन्म दिवस था वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया इस समिति ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक देश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं में डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर राष्ट्रीय गोष्ठी, कार्यशालाओं, नाट्यशालाओं एवं अन्य शैक्षिक

कार्यक्रम आयोजित किए जाऐ जिससे अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछ़डे वर्ग के छात्र–छात्राओं में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, चेतना का विकास हो सके।

1.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जनसंख्या

1987–88 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 44 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण अस्पृश्यता की पुरानी प्रथा है जिसके कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षिक अवसरों से वंचित रहें हैं आज भी समाज में इस वर्ग के लोगों को निम्न शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक दर्जा मिला हुआ है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने में ईमानदारी पूर्वक किये गऐ प्रयासों के बावजूद यह कार्य पूरा नही हो पाया है।

अनीता होर्से की रिपोर्ट (1991 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की दशाओं के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पाँच भारतीयों में से एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति समझा जाये, हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा एवं न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। यह बात सरलता से कही तो जा सकती है लेकिन यह बात अक्षरशः सही नहीं उतरती, क्योंकि आज जनसंख्या का इतना बढ़ा भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति का होने के नाते इनका शोषण आज भी जारी है जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चिन्ता का विषय माना जा रहा है।

1.5 भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए किये गये विशेष प्रावधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का नया संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को सौपा गया तो उन्होंने पिछड़े वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े लोगों के लिए संविधान में अनेक राजनैतिक अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के साथ–साथ समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अनेक

व्यवस्थाऐं जैसें– आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के शोषण से उनके सरंक्षण की बात कही गई है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, 15 (4 , 15 (15 , 16 (4 , 16 (4अ , 16 (4ब , 17, 19, 23, 25, 46, 164 (1 , 275 (1 , 243 (टी 330, 332, 334, 335, 338, 341 एवं 342 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए किये गये विशेष अनुच्छेदों से स्पष्ट है।

1.6 भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लोगों के उन्नयन के लिये किये गये विशेष संवैंधानिक संशोधन

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिये अनेक संशोधन भारतीय संविधान में किये गये हैं ये संशोधन, 8 वाँ संशोधन अधिनियम 1960, 23 वाँ संशोधन अधिनियम 1969, 45 वाँ संशोधन अधिनियम 1980, 51 वाँ संशोधन अधिनियम 1984, 57 वाँ संशोधन अधिनियम 1987, 62 वाँ संशोधन अधिनियम 1989, 65 वाँ संशोधन अधिनियम 1990, 72 वाँ संशोधन अधिनियम 1992, 73 वाँ संशोधन अधिनियम 1993, 74 वाँ संशोधन अधिनियम 1994, 77 वाँ संशोधन अधिनियम 1995, 79 वाँ संशोधन अधिनियम 1999, 81 वाँ संशोधन अधिनियम 2000, 82 वाँ संशोधन अधिनियम 2000, 83 वाँ संशोधन अधिनियम 2000, 84 वाँ संशोधन अधिनियम 2001, 85 वाँ संशोधन अधिनियम 2001, 89 वाँ संशोधन अधिनियम 2003, 90 वाँ संशोधन अधिनियम 2003, 93 वाँ संशोधन अधिनियम 2006, 95 वाँ संशोधन अधिनियम 2010, 97 वाँ संशोधन अधिनियम 2012, 98 वाँ संशोधन अधिनियम 2013, 99 वां संशोधन अधिनियम 2014 आदि विशेष उल्लेखनीय है।

1.7 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए ''विशेष प्रकोष्ठ''

अनिूसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित समिति की 42वीं रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुपालन में जनवरी 1997 में इस 'विशेष प्रकोष्ठ' (स्पेशल सेल की स्थापना की

गई यह प्रकोष्ठ शैक्षिक संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण से सम्बन्धित नीतियों की समीक्षा करने के लिए उत्तरदारी है। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त और संसद सदस्यों को आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए एक सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। इसके साथ–साथ शैक्षिक संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अध्यापक, कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की भी इस प्रकोष्ठ द्वारा जाँच की जाती है और उन्हें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पदाधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है जिससे उनका समाधान खोजा जा सके ओर उनके प्रति विधिक कार्यवाही की जा सकें।

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उन्नयन के लिए सोचे गये उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उन्नयन के लिए अनेक उपाय सोचे गये। जिससे इन जातियों के लोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामान्य जातियों के लोगों के बराबर आ सकें यह बराबरी सभी क्षेत्रों एवं सभी स्तरों में चार आयामों के अन्तर्गत होनी आव यक है –

1. शहरी क्षेत्र के पुरुशों . 2शहरी क्षेत्र की महिलाओं 3. ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों 4. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में। इन्हीं उद्देश्यों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में निम्नलिखित उपाय सोचे गए हैं

1. निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये, कि वे अपने बच्चों को 14 वष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें।

2. सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे–व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चे के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी। ऐसे परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा ताकि उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु किये जाने के प्रस्ताव पास किये गये हैं।

3. ऐसी सुनिश्चित व्यवस्थायें करना ओर जाँच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहें कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है।

4. जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की सुविधायें क्रमिक रूप से बताये जाने को भी स्वीकार किया गया है।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के साधनों का प्रयोग किया जाना भी स्वीकार किया गया है।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना भी स्वीकार किया गया है।

7. विद्यालय भवनों, बाल वाड़ियों, आँगन वाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना स्वीकार किया गया है।

1.9 अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के उन्नयन से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए अनेक योजनाऐं बनायी गयी हैं, जिससे अनुसूचित जाति/जनजातियों की शैक्षिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार किया जा सके और अनुसूचित जाति/जनजाति के साक्षरता प्रतिशत को उचित अनुपात में लाया जा सके ताकि प्रत्येक स्तर पर समानता का दर्जा प्राप्त हो सके।

1.10 केन्द्र सरकार की योजनाऐं

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक योजनाऐं बनायी गयी है, जिससे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोध की

स्थिति उत्पन्न न हो सके तथा प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन किया जा सके। ये योजनाएँ निम्नलिखित रूप में तैयार की गयी हैं –

(क अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरिंग कॉलेजों, मैडीकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं, सैनिक स्कूलों सहित प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना।

(ख प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों को आयु सीमा तथा अंकों में छूट देना।

(i) प्रत्येक शैक्षिक पाठयक्रमों में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सीटों को आरक्षित करना।

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अंकों के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत जाति का आरक्षित कोटा भरने के लिए आयु सीमा (उम्र में आगे और रियायत देना।

(iii) उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य हेतु अनेक अनुसंधान छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

(ग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों के लिए 287 अवर अनुसंधान अध्येतावृत्ति सुनिश्चित की गयी है–

(i) यू.जी.सी. द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 50 अवर एवं 20 वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति सुनिश्चित की गई है।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (10 फैलोशिप का 10 प्रतिशत और 20 अनुसंधान अध्येतावृत्ति (रिसर्च एसोसिएटशिप आरक्षित रखी गयी है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीमान्त पहाड़ी क्षेत्रों की अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी है।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छः छात्रवृत्ति अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसंधान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(v) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, पाली, प्रकति विज्ञान, अरबी, फारसी, अध्यमगधी में स्नातकोत्तर स्तर पर चार छात्रवृत्तियाँ अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसंधान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के लिए पाँच छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी है।

1.10.1 राजस्थान सरकार की योजनाऐं –

राजस्थान सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाऐं तैयार की गई जिनका क्रियान्वयन एवं प्रशासन शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। ये योजनाएँ निम्नलिखित रूप में तैयार की गयी है –

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों के लिए अलग से बजट तैयार करने की व्यवस्था की गयी है।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों, उपकरणों, वर्दियाँ (यूनिफार्म और खेलकूद के सामान की व्यवस्था करना।

(iii) सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(iv) गैर सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधायें प्रदान करना तथा किराये पर आवास के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी की गयी है।

(v) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क की पूर्ति राजकीय कोष से करने की व्यवस्था की गयी है।

(vi) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने के लिए ऋण की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गयी है।

(vii) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा राज्य में निर्धारित आरक्षित कोटे के आधार पर प्रदान करना।

(viii) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक दस्तकारी से सम्बन्धित कक्षाऐं प्रारम्भ करना।

(ix) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व कोंचिग की व्यवस्था करना।

(x) स्वः रोजगार के लिए आधुनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करना।

1.11 अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन से सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रम

संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुच्छेदों तथा रक्षापायों के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष बजट तथा कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया हैं इनमें कुछ कार्यक्रम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा कुछ कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहें हैं। जिनको निम्नाकिंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

1.11.1 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी., भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर. तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा चलाये जा रहें विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है–

(i) शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्थानों को आरक्षित करना।

(ii) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना।

(iii) स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।

(iv) पोस्ट मैट्रिक छा़वृत्तियों की व्यवस्था करना।

(v) पुरुष/महिला छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(vi) बुक बैंक की व्यवस्था करना।

(vii) परीक्षाओं तथा रोजगार प्राप्ति पूर्व कोचिंग की व्यवस्था करना।

1.11.2 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार के अन्तर्गत शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सक्रिय सहयोग से अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वे कार्यक्रम निम्नांकित हैं –

(i) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था करना।

(ii) विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था कराना।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग छात्रावास की व्यवस्था करना।

(v) सामान्य छात्रावासों में आरक्षण सुनिश्चित करना।

(vi) पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी, उपकरण, पोषण एवं खेल का सामान उपलब्ध कराना।

(vii) मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना।

(viii) शिक्षा के विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं के लिए दिये गये परीक्षा शुल्क तथा शिक्षा व्यय की (अदायगी वापसी करना।

(ix) छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण (लोन प्रदान करना।

(x) सार्वजनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं का सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करना।

(xi) शिक्षण तथा अध्ययन केन्द्र खोलना।

1.11.3 गैर–सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलायें जा रहें विभिन्न कार्यक्रम

प्रत्येक राज्य में अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थायें भी है, जो कि अनुसूचित जाति/जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे ये स्वैच्छिक संस्थायें अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों के जीवन स्तर को विकसित बनाने की दिशा में और अधिक क्रियाशील एवं प्रत्यत्नशील रहें। अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए जो संस्थायें प्रयत्नशील हैं उनमें (अ) साक्षरता निकेतन, अजमेर (ब) लोक सेवा संस्थान एवं आजीवन शिक्षा परिषद्, जयपुर (स) जनजाति ट्रस्ट, अलवर

(द) बनवासी सेवा आश्रम, भरतपुर। आदि संस्थायें इन जातियों के विकास में विशेष योगदान दे रही हैं। इन संस्थाओं के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलायें जा रहे हैं। जो निम्नांकित है–

(i) शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(iii) ग्राम उधोग से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(iv) आवासीय सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(v) सहभागिता से सम्बन्धित कार्यक्रम।

शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से नवीनतम् योजनाओं की खोज करना महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है, जिससे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी हो सके। एन.सी.आर.ई.टी. की रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण सामग्री जो कि पूर्णतः नवीनतम् (2015 के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी हैं, जिससे कि अनुसूचित जाति/जनजातियों की प्रत्येक दशा में सुधार किया जाना सम्भव हो सके।

2.0 समस्या का प्रादुर्भाव एवं औचित्य

अनुसूचित–जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की अपनी शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याऐं रही है। जिनके कारण उनकी उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं हो पाई है जिसकी प्रगति के लिए बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है जैसा कि विभिन्न शोध सर्वेक्षणों यथा–रस्तोगी (1977 चिरनिस (1980, डिसूजा (1980, शर्मा (1992, जैन (1993, सिंह (2002, माथुर (2004, अग्निहोत्री (2004, सिंह (2009, प्रियदर्शिनी (2012, कुमार एवं सादाब (2012, नन्द कुमारन (2013, पालाड्गू (2014, वानखेड़े (2014, सिंह (2014, शर्मा (2014, नारायण (2015, आदि में देखने को मिलता है।

कुछ शोध अध्ययनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की मनोवैज्ञिक आवश्यकताओं, शैक्षिक उपलब्धि सृजनात्मक मूल्य, स्वप्रत्यय शैक्षिक तनाव व्यक्तित्व एवं अभिवृत्तियों का भी अध्ययन किया गया है यथा–वार्ष्णेय (1984, गौड़ (1987, गौतम (1990, गुप्ता (1994, सिंह (1997, शर्मा, (2002, सिंह, (2002, सिंह (2007, सिंह (2008, सैनी, (2013, पिल्लई (2014, पाठक (2014, दास (2014, लाल (2014, मावल (2014, परीमल (2014 आदि के अध्ययनों के अतिरिक्त कुछ अध्ययनों जैसा कि सिंह (2002, गुरूस्वामी (2013, कुमार (2014, रमैया (2014, लावन्या (2014, याचना (2014, प ाई (2014, खान (2014, विश्वास (2014, प्रेमी (2014, ए कुमार (2015 से यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता एवं उनके अभिभावकों का दृष्टिकोण भी उन्हें शिक्षा प्रदान करने के सन्दर्भ में बहुत कुछ उपेक्षित रहा है जिसके कारण उनका सतत् अध्ययन नहीं चल पा रहा है।

विभिन्न शोध सर्वेक्षणों एवं क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्टियों की रिपोर्टों के अध्ययन से यह तथ्य तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें जो शैक्षिक सुविधाऐं उन्हें प्रदान कर रही है उनका छात्रगण भली भांति प्रयोग नहीं कर पाते है तथा सम्बन्धित अभिभावकगण भी उनके प्रति अनभिज्ञ एवं उदासीन ही रहते है जैसा कि प्रजापति 1982, वर्मा, 1983, शर्मा 1984, पांडे 1987, भार्गव एवं अन्य 1989, कक्कड 1990, नगारे 1991 श्रीवास्तव 1982, गौतम 1999, ज्योत्सना 2013, मीना 2014 जादौन 2016 जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के

छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही है शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओं की उपयोगिता पर विशेष रूप से अभिभावकों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के अभिमतों को जानने का प्रयास किया कि छात्रों को विभिन्न सूत्रों से मिली सहायता धनराशि विद्यार्थियों के अध्ययन काल में कब, कैसे, और किन माध्यमों से प्राप्त होती है, विद्यार्थियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर को सुधारने में इस सहायता धनराशि ने कितनी प्रेरणा एवं सहायता प्रदान की है तथा वर्तमान समय में वह सहायता धनराशि कितनी उपयुक्त और उसमें क्या संशोधन कराना चाहते है का अध्ययन किये जाने का प्रयास किया है।

शाह 1987 ने तृतीय शिक्षा शोध सर्वेक्षण की ट्रेण्ड रिपोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के सन्दर्भ में नियोजित नीतियाँ यद्यपि पूर्णत स्पष्ट है लेकिन शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का भली प्रकार से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है विभिन्न लेखकों एवं विचारकों के अनुसार इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछडे हुए वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चशिक्षा, शोध एवं अन्य स्तर (तकनीकि, कृषि, मेडीकल, व्यवसायिक आदि के छात्र–छात्राओं को पर्याप्त लाभ मिल सके योग्य एवं सामर्थ्यवान विद्यार्थी इन शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में अपने अध्ययन को मध्य में न छोड़ सके।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के भली प्रकार प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित विषय पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परामर्शक प्रो0 एस0के0 गुप्ता द्वारा दयालबाग, शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय, दयालाबाग, आगरा के सतत शिक्षा केन्द्र के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्य गोष्ठी 13 से 17 फरवरी 1990 के मध्यम मथुरा जनपद के वृन्दावन नगर में आयोजित की गई गोष्ठी में प्रो0 गुप्ता द्वारा 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही है शैक्षिक सुविधाओं के उपयुक्तता के सन्दर्भ में एक अध्ययन भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने इस कार्य गोष्ठी में प्रस्तुत की। जिसमें विभिन्न

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक–प्रशिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों, शिक्षा–शास्त्रीयों तथा क्षेत्रीय महाविद्यालयों के शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्य गोष्ठी की चक्रमुद्रित आख्या के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में एक भी प्रतिनिधिकारी शैक्षिक शोध उपलब्ध नहीं हो सका। गोष्ठी प्रतिभागियों का यह भी विचार था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं पर तो पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है लेकिन उन्हें प्रदान किये जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में शोध कार्य नहीं हुआ है, विशेष रूप से यह जानने के लिए दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाऐं कितनी उपयुक्त हैं। विशेष रूप से यह जानने के लिए दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाऐं महिला एवं पुरूष, शहरी एवं ग्रामीण, कला एवं विज्ञान वर्ग, कला एवं वाणिज्य वर्ग, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग, के छात्र–छात्राओं की दृष्टि में कितनी उपयुक्त है तथा ये सुविधाऐं उन्हें कब उपलब्ध होती है तथा इनका उपभोग वह कहाँ–कहाँ पर करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में एक ऐसे अध्ययन किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जो कि उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विभिन्न संकायों यथा–कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग आदि में अध्ययनरत है जो शहरी एवं ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है वे केन्द्र एवं राज्य सरकार विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा इस जाति वर्ग के सन्दर्भ में जो शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाऐं दी जा रही है उनके प्रति इस जाति वर्ग के छात्र–छात्राऐं एवं अन्तर्निहित समुदायों के अभिभावक कितनी जानकारी रखते है तथा उपलब्ध सुविधाओं के प्रति उनका क्या नजरिया है, इन विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति के विभिन्न श्रोतों के सन्दर्भ में कितनी जानकारी रखते हैं।

शोधार्थी के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मौजूदा समय में केन्द्र एवं राजस्थान

सरकार उनके शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिए कौन–कौन सी सुविधाऐं प्रदान कर रही है? ये शैक्षिक एवं सामाजिक सुविधाऐं उन्हें कब और कैसे प्राप्त हो पाती है? उपलब्ध शैक्षिक एवं सामाजिक सुविधाओं का उपभोग वे किस प्रकार करते है? इन सुविधाओं के उपयोग करने के बाद क्या उनके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है? उपर्युक्त सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया है।

3.0 समस्या कथन

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीयों के शैक्षिक उन्नयन के निमित्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन

उपर्युक्त समस्या पर शोध कार्य करने की महती आवश्यकता इस कारण भी है कि शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य सरकार (राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नवीनतम योजनाओं की जानकारी होना इस जाति वर्ग विशेष के लिए आवश्यक है जिससे कि वे अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस् तिक एवं राजनैतिक उत्थान भलीभॉति कर सकें। साथ ही इस अध्ययन के माध्यम से यह भी जानना आवश्यक है कि क्या उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी इस जाति वर्ग के विभिन्न समुदायों में से कुछ विशेष समुदायों तक ही तो कही सीमित नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं आदि को विकसित करना आवश्यक हो जाता है जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी समुदायो के विद्यार्थियों उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सके एवं सही उपभोग कर अपना शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक, सांस् तिक, एवं राजनैतिक उत्थान कर सके।

3.1 समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

3.1.1 अनूसूचित जनजाति शब्द से आशय उस मानव समूह, मूल वशों या उन जातियों से है जिन्हें भारतीय सविधान की धारा 342 में "अनुसूचित जनजाति" (Schedule Tribes कहा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण शासनादेश संख्या राजस्थान शासन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान के शासनादेश संख्या राजस्थान शासन अधिनियम 1976 जनजातियों को मान्यता प्रदान की गई है। उनको अनुसूचित जनजाति माना जायेगा।

3.1.2 विद्यार्थी

विधार्थी शब्द से अभिप्राय राजस्थान सरकार के भरतपुर संभाग एवं जयपुर संभाग में स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं से है।

3.1.3 शैक्षिक उन्नयन

शैक्षिक उन्नयन से तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थिओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक एवं व्यावसायिक आदि सुविधाओं के माध्यम से उनमें होने वाले शैक्षिक विकास से है।

3.1.4 केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार से अभिप्राय है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत संघ सूची एवं समवर्ती सूची में निर्धारित किये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त है। इन्ही विषयों के अनुरूप केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। और इन कानूनों के तहत् उस पर नियंत्रण रखती है, से है।

3.1.5 राज्य सरकार

राज्य सरकार से आशय है कि राजस्थान शासन का संचालन करने वाली सरकार से है जो कि निर्धारित किये गऐ विषयों पर कानून बनाती है, उसका संचालन करती है, एवं उन पर नियंत्रण रखती है, से है।

3.1.6 शैक्षिक सुविधाऐं

शैक्षिक सुविधाओं से अभिप्राय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत् केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक विकास एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राजस्थान

सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थिओं को दी जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं से है जैसे– शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में दिया जाने वाला आरक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रावासीय सुविधा, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, वितीय आर्थिक सहायता आदि एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से हैं

3.1.7 उपयुक्तता

'उपयुक्तता' शब्द से यहाँ अभिप्राय केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाएँ जैसे– शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में दिये जाने वाला आरक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावासीय सुविधायें, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क कोंचिग व्यवस्था, वित्तीय सहायता, एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रावासीय सुविधाएँ आदि के प्रदान किये जाने के प्रमुख आधारों, प्रशासनिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा प्राप्त सुविधाओं की उपभोक्ताओं (छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की दृष्टि में उनकी उपयुक्तता से है।

3.1.8 उपभोग

उपभोग से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपयोग करने या विषय सुख उठाने से है।

यहाँ उपभोग से केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही नकद छात्रवृत्ति धनराशि एवं वित्तीय आर्थिक सहायता के रूप में मिली धनराशि से है, प्राप्त धनराशि का उपयोग वह कहाँ–कहाँ करते है से है।

3.1.9 अभिमत

अभिमत से अभिप्राय है। किसी वस्तु, कर्म, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्त किये गये विचार, राय या मत से होता है।

बेबस्टर शब्दकोष के अनुसार

"किसी विषय या विशिष्ट वस्तु के प्रति मस्तिष्क में निर्मित विचार या निर्णय ही अभिमत कहलाते है। यहाँ अभिमत से तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिए केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त किये गये विचार, राय, मशविरा या मतों से है।

4.0 शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के सन्दर्भ में प्राप्त किऐ जाने वाले उद्देश्यों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत् है

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं के सन्दर्भ में अभिमतों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना ।
3. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. अनुसूचित जनजाति वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संकायों यथा–कला, विज्ञान, वाणिज्य, षि आदि में अध्ययनरत् है का केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

7. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के मध्य सह–सम्बन्ध ज्ञात करना।

4.2 अध्ययन के गौण उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न समुदायों भील, मीना, डामोर, डमरिया, धनका, गरासिया, काधौड़ी, कोकना, कोलीढोर, मीना, नायकड़ा, पटेलिया एवं सेहरिया आदि समुदायों के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.0 शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण करना सुनिश्चित किया है इसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में भारत वर्ष को स्वतंत्र हुये 69 वर्ष बीत चुके हैं साथ ही भारतवर्ष उत्कृष्ठ जनसंचार माध्यमों से युक्त हो चुका है तथा साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। अतः भारतीय समुदाय विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग अपने स्वयं के प्रति विशेष रूप से कितने जागरूक है शोधार्थी का मानना है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी छात्र–छात्राऐं भी पर्याप्त रूप से जागरूक होगें। साथ ही निर्मित परिकल्पनाओं के सन्दर्भ में सांख्यिकीय परीक्षण करना भी अनिवार्य होता है परिकल्पनाओं के परीक्षण में सही सांख्किीय सार्थकता परीक्षणों का मूल आधार शून्य परिकल्पनायें भी होती है।

उक्त परिकल्पनाओं को दृष्टिगत रखते हुऐ शोधार्थी ने शून्य परिकल्पनाओं को परीक्षित किये जाने को सुनिश्चित किया है–

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रा–छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।

2. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में यौन–भेद के आधार पर अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।

3. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं के अलग–अलग अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।

4. अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं षि वर्ग आदि के अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।

5. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न समुदायों के विद्यार्थी केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में समान रूप से सजग होगें।

6. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न समुदायों के विद्यार्थी केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधा के उपभोग करने के सन्दर्भ में समान रूप से जागरूक होगें।

6.0 शोध अध्ययन का सीमांकन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय एवं राजस्थान सरकार द्वारा इस जनजाति वर्ग के विद्यार्थी को प्रदान किये जाने वाली विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सुविधाओं तक ही सीमित रखा जायेगा।

2. न्यादर्श में राजस्थान राज्य के भरतपुर एवं जयपुर संभाग में स्थित उच्च माध्यमिक स्तर के कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं षि वर्ग में अध्ययनरत्, छात्र–छात्राओं को ही सम्मिलित किया जायेगा।

3. भरतपुर संभाग में स्थित सभी जनपदों (भरतपुर, धौलपुर, करौली, संवाई माधौपुर एवं जयपुर संभाग में स्थिति सभी जनपदों (जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को ही सम्मलित किया जायेगा।

4. प्रस्तुत अध्ययन में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को ही शामिल किया जायेगा।

5. प्रस्तुत शोध अध्ययन में माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–11 एवं 12 के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को ही शामिल किया जायेगा।

7.0 अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि (descriptive survey Method) का प्रयोग किया जायेगा।

वेस्ट (1972 के शब्दों में

वर्णनात्मक शोध वर्तमान स्थिति की व्याख्या एवं विवेचना प्रस्तुत करता है इसका सम्बन्ध उन स्थितियों व सम्बन्धों से है जिनका अस्तित्व वर्तमान में है अथवा उन व्यवहारों से है जो कि प्रचलित है व उन दृष्टिकोण से है जिनका प्रचलन है तथा उन प्रभावों से है जिन्हें अनुभव किया जाता है, अथवा उन उपनीतियों से जो विकासशील है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को संपादित करने के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि (Descriptive Survey Method) को केन्द्र बिन्दु मानकर ही प्रस्तुत शोध संपादित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

8.0 अध्ययन बिन्दु

प्रस्तुत शोध का सम्बन्ध विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के बहुपक्षीय विश्लेषणात्मक अध्ययन से है। ये विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाऐं निम्न रूप निर्देशन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है।

विभिन्न शैक्षिक सुविधायें

शैक्षिक	वित्तीय	सामाजिक	व्यावसायिक
1. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश	1. छात्रवृत्ति	1. निःशुल्क छात्रावास	1. विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षा
2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	2. शुल्क प्रतिपूर्ति	2. सामूहिक भोजन व्यवस्था	2. स्वः रोजगार की सुविधा
3. लेखन साम्रगी	3. निःशुल्क प्रवेश		3. उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश में अध्येतावृत्ति
4. शैक्षिक उपकरण	4. निःशुल्क भोजन		4. शोधकार्य वरीयता एवं छात्रवृत्ति
5. निः शुल्क कोचिंग	5. निःशुल्क गणवेश		
6. खेलकूद	6. परीक्षा शुल्क		

9.0 प्रतिदर्श चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिदर्श का चयन निम्न रूप में किया जायेगा।

9.1 जनसंख्या

भरतपुर एवं जयपुर संभाग में स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं षि आदि पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा।

9.2 प्रतिदर्श

शोध अध्ययन के सम्बन्ध में प्रतिदर्श का चयन निम्न रूप के किया जायेगा।

9.2.1 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन

भरतपुर एवं जयपुर संभाग के विभिन्न जनपदों में स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन प्रतिदर्श की सौद्देश्य विधि (Purposive Sample Method) के द्वारा किया जायेगा।

चयनित इकाईयों का विवरण निम्न सारणीयों में प्रस्तुत किया गया है

सारणी–1

भरतपुर संभाग में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन

क्र0 स0	जनपद का नाम	कुल नगरीय विद्यालय		कुल ग्रामीण विद्यालय		कुल गयोग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	भरतपुर	2	2	2	2	8
2	धौलपुर	2	2	2	2	8
3	करौली	2	2	2	2	8
4	संवाई माधौपुर	2	2	2	2	8
कुल योग		8	8	8	8	32

सारणी नं0–2

जयपुर संभाग में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन

क्र0 स0	जनपद का नाम	कुल नगरीय विद्यालय		कुल ग्रामीण विद्यालय		कुल गयोग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	जयपुर	2	2	2	2	8
2	अलवर	2	2	2	2	8
3	दौसा	2	2	2	2	8
4	झुंझुनू	2	2	2	2	8
5	सीकर	2	2	2	2	8
कुल योग		10	10	10	10	40

9.2.2 विद्यार्थियों का चयन

उपर्युक्त सारणी संख्या 1 एवं 2 में दर्शित माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग आदि के पाठयक्रमों में अध्ययनरत् 1600 (800 छात्र एवं 800 छात्राऐं का चयन आकस्मिक विधि (Accidental Method) द्वारा किया जायेगा।

10.0 उपकरण एवं विधि

प्रस्तुत शोध संमस्या के अध्ययन हेतु कोई प्रमाणिक शोध उपकरण उपलब्ध नहीं है अतः प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयेाग किया जायेगा। जिसमें उपर्युक्त अध्ययन बिन्दुओं के अन्तर्गत शामिल किये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभिमत प्रश्नावली का निर्माण किया जायेगा। उपकरण की वैधता एवं विश्वनीयता का निर्धारण करने के लिए प्रमाणिक सांख्यिकीय प्रविधियों का भी प्रयोग किया जायेगा।

शोध अध्ययन के निमित्त प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों का निर्माण निम्न चरणों में किया जायेगा।

10.1 प्रथम चरण

उपर्युक्त वर्णित अध्ययन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग अभिमत मापनी का निर्माण किया जायेगा।

10.2 द्वितीय चरण

इस चरण में स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं अभिमत मापनी को शोध विशेषज्ञों के पास भेजा जायेगा उनके परामर्श के तत्पश्चात बताई गई कमियों में सुधार कर स्वनिर्मित प्रश्नावली का संशोधित प्रारूप तैयार किया जायेगा।

10.3 तृतीय चरण

इस चरण में स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं अभिमत मापनी का पद विश्लेषण कर उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जायेगा।

10.4 चतुर्थ एवं अन्तिम चरण

इस चरण में उपयुक्तता परीक्षण एवं उपभोग अभिमत मापनी का अन्तिम प्रारूप तैयार किया जायेगा।

11.0 सांख्यिकीय प्राविधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए प्राचलिक (पेरामैट्रिक एवं अप्राचलिक (नॉन पेरामैट्रिक दोनों प्रकार की सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा

11.1 प्रतिशत

11.2 मध्यमान

11.3 प्रमाणिक विचलन

11.4 सार्थकता परीक्षण यथा—टी परीक्षण एवं काई वर्ग परीक्षण

12.0 शोध अध्ययन का औचित्य

अनुसूचित जनजातियाँ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैर अनुसूचित जनजातियाँ के साथ ही बसी हुई है। यह जातियाँ प्रारम्भ से ही अश्पृश्यता और उपेक्षा के कारण हीनभावना से ग्रसित रही है अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न दशाओं में सुधार करने हेतु संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है और समय—समय पर इन जनजातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न संवैधानिक संशोधन भी संविधान के अन्तर्गत किये गये। लेकिन इन जनजातियों के विभिन्न स्तरों में उतना सुधार नहीं हो पाया जितना कि संविधान लागू करते समय कल्पना की गयी थी। प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से इन जनजातियों के छात्र—छात्राओं को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपभोग के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त कर उनकी जागरूकता और अभिवृत्तियों को और अधिक बल प्रदान करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अम्बेडकर, भीमराव (1951 "जाति विच्छेद" प्रथम प्रकाशित, नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार, अमृत बुक कम्पनी।

2. अग्निहोत्री, कल्पना (2004 "उच्च एवं अनुसूचित जाति हिन्दु बुद्धाओं की सामाजिक–आर्थिक दशाऐं एवं समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन" अप्रकाश्ति पी0एच0डी0 शोध प्रबन्ध (समाजशास्त्र डा. बी.आर. अम्बेडकर वि.वि.।

3. अग्रवाल , रेखा(1991 "अनुसूचित जाति/जनजाति के विधार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपयुक्तता का अध्ययन" अप्रकाशित एम.एड. लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, डी.ई. आई (डीम्ड वि. वि. दयालबाग, आगरा

4. अग्रवाल, यश (1994 "अनुसूचित जातियों में सहायता की प्रवृत्तियाँ, परिपेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भ" वर्ष एक, अंक 2 अगस्त पृष्ठ संख्या 79–104।

5. अग्रवाल, तनुजा (1994 "विशिष्ट समूह की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिक

   संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारक–एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" अप्रकाशित पी.एच. डी. शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र डी.ई.आई. डीम्ड वि.वि. दयालबाग, आगरा।

6. अग्रवाल, वी.पी. (1988 "उत्तर प्रदेश में अनु. जाति/जनजाति शिक्षा" अजमेर क्षेत्रीय महाविद्यालय, राजस्थान।

7. भारत, चन्द्रभान (1990 "अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए संविधानिक संरक्षण एवं उनके क्रियान्वयन का अध्ययन" अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध (राजनिति शास्त्र , आगरा विश्वविद्यालय, आगरा

8. भारत की जनगणना रिपोर्ट(2011 "फाइनल पोपुलेशन टोटल्स" (2002 , का ऑफिस, नई

   दिल्ली।

9. भारत– (2013 वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

10. भारत– (2016 वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ0सं0 813–814

11. भारतीय संविधान– (1984 विधि मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

12. गौतम, एम.के. (2000 "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में अभिमतों का अध्ययन" अप्रकाशित पी.एच. डी. शोध प्रबन्ध शिक्षा शास्त्र डी.ई.आई. (डीम्ड वि.वि. दयालबाग, आगरा

13. रजनी गौतम (1990 "अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, मूल शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षा की ओर अभिवृत्तियों का अध्ययन" अप्रकाशित पी.एच. डी. शोध प्रबन्ध (शिक्षा शास्त्र आगरा वि.वि. आगरा।

14. मधु गुप्ता (1994 "अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जाति के प्रथम और प्रथमोत्तर शिक्षित पीढी के विधार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कतिपय मनोसामाजिक

कार्यो का तुलनात्मक अध्ययन'' अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र डी.ई.आई. डीम्ड वि.वि. दयालबाग, आगरा।

15. Gupta S.k. (1990) The Impact of Incentives for the education of schedule caste & schedule tribes, A pilot study, Allahabad, NCERT, Regional office.

16. कार्य गोष्ठी रिपोट(1990 ''उत्तर–प्रदेश के अनुसूचिम जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिऐ शिक्षा उपार्जन हेतु प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन सहायता की उपयुक्तता'' NCRT के क्षेत्रीय सलाहकार उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 13 से 18 फरवरी, 1990, वृन्दावन मथुरा।

17. कुमार अभिमन्यु एवं सादाब मौहम्मद–(2012 ''पश्चिमी उत्तर–प्रदेश की अनुसूचिम जातियों की सामाजिक प्रस्थितियों पर सूक्ष्म अध्ययन'' निम्न विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

18. कुमार, अनिल–(2001 ''आरक्षण नीति के प्रावधानों का अनुसूचित जातियों के जीवन पर प्रभावों का समाज शास्त्रीय अध्ययन'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध (समाज शास्त्र डा. भीमराव अम्बेडर वि.वि. आगरा।

19. कुशवाह, समाज (2001 ''अनुसूचित जातियों की परिस्थिति का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में अध्ययन'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध समाज शास्त्र, डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि. आगरा।

20. कुमारी मंजू (2005 ''मलिन बस्तियों में विशिष्ट जाति समूह अनुसूचित जातियों की लड़कियों का शैक्षिक व्यावसयिक स्तर का उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का मत'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध शिक्षा शास्त्र डी.ई.आई. विश्वविद्यालय, दयालबाग, आगरा।

21. माथुर शिवेन्द्र(2004 ''ग्रामीण अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय गग्रमीण बैंकों की भूमिका'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध (अर्थशास्त्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।

22. एन.सी.आई.आर.टी.(1993 ''अनुसूचित जाति शैक्षिक विकास प्रशिक्षित सामग्री सन्दर्भ व्यक्ति, सन्दर्भित अनौपचारिक शिक्षा'' अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

23. राय, पी.एन.(1985 ''अनुसंधान परिचय'' लक्ष्मी नारायण प्रकाशन हॉस्पीटल रोड, आगरा प्रं. सं. 119–148

24. तुलसीराम, स्वामी पंडित(1971 ''मनुस्मृति'' गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पृ0सं0 114

25. तुलसीराम, स्वामी पंडित (1976 ''मनुस्मृति'' गोयल ब्रदर्स, देहली श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, प्र0सं0 136

26. तुलसीराम, स्वामी पंडित (1978 ''याज्ञवल्य स्मृति'' गोयल ब्रदर्स, देहली श्री काशीनाथ ग्रन्थपाल, प्र0सं0 148

27. सिंह अतर (2008 ''ग्रामीण अनुसूचित जातियों के विकास में पंचायती राज की भूमिका के सन्दर्भ में अध्ययन'' अप्रकाशित पी.एच. डी. शोध प्रबन्ध समाज शास्त्र डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि. आगरा।

28. सिंह ममता (2002 "अनुसूचित जातियों में सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना" अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध राजनीति शास्त्र डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि. आगरा।

29. सिंह एन.बी. (1999 "अनुसूचित जाति एवं पिछडी जाति में ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान" अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध समाज शास्त्र डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि. आगरा।

30. शर्मा एन.के.(2002 "जयपुर संभाग के सवर्ण एवं अनुसूचित जाति के माध्यमिक स्तर के छात्रों के बुद्धि स्तर सृजनात्मकता एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन" अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध समाज शास्त्र डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि. आगरा।

31. शर्मा सुभाष (1994 "अनुसूचित जातियों की शिक्षा, परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना अप्रकाशन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ" नीपा नई दिल्ली, वर्ष एक अंक 1 अप्रैल पृ0सं0 133–146

32. शाह सुजाता(1996 "जातीय पृष्ठभूमि में भाषा, लिंग, मत, अन्तर भारतीय शिक्षा" वर्ष 13, अंक 3, जनवरी पृ.सं. 31–39

33. सुखिया, एस.पी. एवं मेहरोत्रा आर. एन. (1970 "शैक्षिक अनुसंधान के भू–तत्व" विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा। प्र.सं. 218–241

34. वार्षिक रिपोर्ट (2014–15 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

35. वार्षिक रिपोर्ट (2014–15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

36. वार्षिक रिपोर्ट(2014–15 श्रम एवं रोजगार मंन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

37. विवरण पत्रिका (1988 "अनुसूचित जाति/जनजाति विभुक्ति जाति एवं पिछड़ी जाति के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की विवरण प्रक्रिया" समाज कल्याण निदेशालय समाज कल्याण प्रकाशन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

38. विवरण पत्रिका (1992 "अनुसूचित जाति/जनजाति विभुक्ति जाति एवं पिछड़ी

जाति के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की विवरण प्रक्रिया" समाज कल्याण निदेशालय समाज कल्याण प्रकाशन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

39 वैध, नरेन्द्र (1988 "उत्तर–प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की शिक्षा" पाठक प्रिन्टर्स अजमेर, राजस्थान।